उपस्थितिः— श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद—प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0—1083/ 2026
रंजीत कुमार बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक—03.07.2026

अन्तर्गत न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद—प्रथम, समस्तीपुर

(विभूतिपुर थाना कांड संख्या—82 /2026 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा—30(ए),30(सी),36 बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2022 एवं 274,275,338,336(3),340(2) भा.न्या.सं.) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम—482 से संबंधित।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1083/2026

1. **रंजीत कुमार,** पिता—रामखेलावन महतो
निवासी ग्राम— वो थाना—विभूतिपुर, जिला— समस्तीपुर।

आवेदक की तरफ से ....श्री कृष्णा राज विद्वान अधिवक्ता।

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी श्री देवेश कुमार विशेष लोक अभियोजक उत्पाद।

दिनांक	आदेश फलक	टिप्पणी
03.07.2026	1. उपरोक्त वर्णित अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त/आवेदक रंजीत कुमार, जो **विभूतिपुर थाना कांड संख्या—82 /2026 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा— 30(ए),30(सी),36 बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2022 एवं 274,275,338,336(3),340(2) भा.न्या.सं.** से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को प्राप्त पहले से ही प्राप्त कराया गया है। 2. केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मॉग की गई थी जो अभिलेख पर अप्राप्त है। 3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है ,कि सूचक प्रकाश प्रसाद सिंह पु.अ.नि. विभूतिपुर द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 22.02.2026 को दिवा गस्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व के शराब कारोबारी चंद्रप्रकाश महतो पिता राजेंद्र प्रसाद ग्राम आलमपुर वार्ड नं.—10 अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग से अपने घर में नकली शराब का निर्माण कर रहे हैं तथा वहीं से बिक्री करते हैं। सूचना के सत्यापन हेतु समय करीब 17:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे जहां उक्त अभियुक्त के झोपड़ीनुमा घर से पुलिस वाहन को देख तीन**(3)** व्यक्ति भागने लगा जिसे खदेड़ कर पकड़े और पूछने पर अपना नाम 1. चन्द्रप्रकाश महतो पिता राजेंद्र प्रसाद ग्राम आलमपुर वार्ड 10 2. राजू कुमार पिता मुकेश कुमार और 3. सुमित कुमार पिता भोला महतो दोनों ग्राम कोदरिया वार्ड 2 तीनों थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर बताये। उनके घर की विधिवत तलाशी लिए इसी क्रम में इनके घर से 9.375 (नौ लीटर तीन सौ पच्छतर) लीटर विदेशी शराब और शराब बनाने की सामग्रि के साथ अन्य सामान बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। 4. आवेदक/ अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत	

उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–1083/ 2026
रंजीत कुमार बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–03.07.2026

आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदिका /अभियुक्त निर्दोष है। आवेदिका/ अभियुक्त का किसी उपरी न्यायालय में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन लम्बित नहीं है। आवेदिका/ अभियुक्त का तीन **(3)** आपराधिक इतिहास है। इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाये।

5.विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किये और यह भी कथन किये कि बिहार राज्य में धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में धारा–76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है।

6. दोनों पक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक प्रकाश प्रसाद सिंह पु.अ.नि. विभूतिपुर द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 22.02.2026 को दिवा गस्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व के शराब कारोबारी चंद्रप्रकाश महतो पिता राजेंद्र प्रसाद ग्राम आलमपुर वार्ड नं.–10 अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग से अपने घर में नकली शराब का निर्माण कर रहे हैं तथा वहीं से बिक्री करते हैं। सूचना के सत्यापन हेतु समय करीब 17:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे जहां उक्त अभियुक्त के झोपड़ीनुमा घर से पुलिस वाहन को देख तीन**(3)** व्यक्ति भागने लगा जिसे खदेड़ कर पकड़े और पूछने पर अपना नाम 1. चन्द्रप्रकाश महतो पिता राजेंद्र प्रसाद ग्राम आलमपुर वार्ड 10 2. राजू कुमार पिता मुकेश कुमार और 3. सुमित कुमार पिता भोला महतो दोनों ग्राम कोदरिया वार्ड 2 तीनों थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर बताये। उनके घर की विधिवत तलाशी लिए इसी क्रम में इनके घर से **9.375 (नौ लीटर तीन सौ पच्छतर)** लीटर विदेशी शराब और शराब बनाने की सामग्रि के साथ अन्य सामान बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। जिसके उपरान्त स्वलिखित आवेदन थाना में दिए और **धारा–30(ए),30(सी),36 बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2022 एवं 274,275,338,336(3), 340(2) भा.न्या.सं.** में प्राथमिकी दर्ज की गई।

7.यह वाद अभी अनुसंधान के अधीन है अभियुक्त का तीन **(3)** आपराधिक इतिहास है, तथा **धारा– 30(ए),30(सी),36 बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2022 एवं 274,275,338, 336(3), 340(2) भा.न्या.सं.** के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है और धारा–76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मैं तथा अभियुक्त रंजीत कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत नहीं समझता हूँ, अत : उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–1083／ 2026
रंजीत कुमार बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–03.07.2026

	विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम, समस्तीपुर। 03.07.2026	